



## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी (राज0)

पीठासीन अधिकारी: अन्जु शर्मा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या: 11/2022

### उनवान

(1) अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका परतापुर-गढ़ी जिला वांसवाड़ा (राज0)

—: प्रार्थी

### बनाम

(1) तहसीलदार, गढ़ी जिला वांसवाड़ा।

—: अप्रार्थी

### प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम निर्णय

दिनांक: 01.01.2023

संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी नगरपालिका परतापुर-गढ़ी में अधिशाषी अधिकारी के पद पर कार्यरत होकर नवगठित नगरपालिका परतापुर-गढ़ी राजस्थान सरकार की अधिसूचना से ग्राम पंचायत परतापुर, गढ़ी एवं भगोरा आंशिक भाग, ग्राम पंचायत खेरन का पारड़ा के राजस्व ग्राम नवापादर-मोरड़ी तथा ग्राम पंचायत बेडवा के बोहरावाड़ी को सम्मिलित कर परतापुर-गढ़ी नगरपालिका का गठन किया जाकर उक्त क्षेत्र में वर्णित राजस्व रिकार्ड एवं सम्पत्ति नगरपालिका के नाम मानी व समझी जाने निर्देशित हुआ।

नवगठित नगरपालिका परतापुर-गढ़ी में सम्मिलित ग्राम पंचायत परतापुर के पटवार हल्का परतापुर के मौजा परतापुर की जमाबन्दी संवत 2071-2074 की खाता संख्या 01 के सर्वे नम्बर 863 रकबा 11.10 हे0 किस्म-बरड़ी, सड़क व रास्ता क्रमशः 033 हे0, 0.77 हे0, 0.10 हे0 भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। हॉल ट्रेस नक्शा जिसमें तरमीम रास्ता मौके पर रास्ता नहीं होकर स्थानीय लोगों द्वारा तत्समय ग्राम पंचायत परतापुर से तामिर स्वीकृति लेकर मकानात् करिबन 70 वर्षों से भी अधिक समय से बने हुए हैं। उक्त भूमि पर पूर्व से मकानात् बने हुए हैं, परन्तु उक्त भूमि की किस्म-रास्ता होने से नगरपालिका द्वारा मकान मालिकों के पक्ष में पट्टा तैयार कर दिया जाने में कठिनाई उत्पन्न हो रही है। उक्त भूमि की किस्म पूर्वानुसार किया जाकर राजस्व रिकार्ड में शुद्धि हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत हुआ।


प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार (भूमिधारी) गढ़ी के नाम सम्मन जारी किये जाने पर प्रतिवादी तहसीलदार (भूमिधारी) गढ़ी द्वारा रिपोर्ट, राजस्व अभिलेख प्रस्तुत कर उक्त सर्वे नम्बर 863 की भू-प्रबन्ध से पूर्व की जमाबन्दी संवत 2034 से 2037 अनुसार सर्वे नम्बर 4 रकबा 56 बीघा 19 बिस्वा किस्म-आबादी, रकबा 54 बीघा 03 बिस्वा किस्म-रास्ता, रकबा 02 बीघा 16 बिस्वा, सर्वे नम्बर 7 रकबा 8 बीघा 03 बिस्वा किस्म-आबादी, सर्वे नम्बर 9 रकबा 02 बीघा 01 बिस्वा किस्म-आबादी, सर्वे नम्बर 6 रकबा 01 बीघा 5 बिस्वा किस्म-रास्ता, सर्वे नम्बर 03 रकबा 01 बीघा 03 किस्म-रास्ता, सर्वे नम्बर 5 रकबा 12 बिस्वा किस्म-रास्ता, सर्वे नम्बर 10 रकबा 4 बीघा 13 बिस्वा किस्म-सड़क 4 बीघा 01 बिस्वा आबादी 12 बिस्वा, सर्वे नम्बर 53 रकबा 03 बिस्वा किस्म-भू.गो.तृ., सर्वे नम्बर 54 रकबा 02 बीघा 01 बिस्वा किस्म-भू.गो.तृ., सर्वे नम्बर 58 रकबा 04 बिस्वा किस्म-ह.च., 01 बिस्वा किस्म-ह.बीड़, 03 बिस्वा दर्ज रिकार्ड होकर उक्त अनुसार आबादी रकबा 64 बीघा 19 बिस्वा (10.39 हे0) आबादी दर्ज रिकार्ड थी। जो हाल सेटलमेंट संवत 2048 में सर्वे नम्बर 863 का रकबा 11.10 हे0 किस्म-वर्गीकरण में किस्म-रास्ता दर्ज हो गया है। जो पूर्व भू-प्रबन्ध अनुसार एवं तुलनात्मक विवरण अनुसार रकबा 10.39 हे0 किस्म-आबादी व रकबा 0.71 हे0 किस्म-रास्ता दर्ज किया जाना उचित बताया गया है।

प्रकरण में प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र एवं अप्रार्थी तहसीलदार (भूमिधारी) की ओर से प्रस्तुत रिपोर्ट, राजस्व अभिलेख का अवलोकन करने पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि पटवार हल्का परतापुर के मौजा परतापुर की जमाबन्दी संवत 2071 से 2074 की खाता संख्या 01 (नई) 01 (पुरानी) के सर्वे नम्बर 863 की भूमि भू-प्रबन्ध से पूर्व की जमाबन्दी संवत 2034 से 2037 अनुसार सर्वे नम्बर 4 रकबा 56 बीघा 19 बिस्वा किस्म-आबादी, रकबा 54 बीघा 03 बिस्वा किस्म-रास्ता, रकबा 02 बीघा 16 बिस्वा, सर्वे नम्बर 7 रकबा 8 बीघा 03 बिस्वा किस्म-आबादी, सर्वे नम्बर 9 रकबा 02 बीघा 01 बिस्वा किस्म-आबादी, सर्वे नम्बर 6 रकबा 01 बीघा 5 बिस्वा किस्म-रास्ता, सर्वे नम्बर 03 रकबा 01 बीघा 03 किस्म-रास्ता, सर्वे नम्बर 5 रकबा

अधिशाषी अधिकारी  
नगरपालिका परतापुर-गढ़ी

12 बिस्वा किस्म-रास्ता, सर्वे नम्बर 10 रकबा 4 बीघा 13 बिस्वा किस्म-सड़क 4 बीघा 01 बिस्वा आबादी 12 बिस्वा, सर्वे नम्बर 54 रकबा 03 बिस्वा किस्म-भू.गो.तृ., सर्वे नम्बर 54 रकबा 02 बीघा 01 बिस्वा किस्म-भू.गो.तृ., सर्वे नम्बर 58 रकबा 04 बिस्वा किस्म-ह.च., 01 बिस्वा किस्म-ह.बीड, 03 बिस्वा दर्ज रिकार्ड होकर उक्त अनुसार आबादी रकबा 64 बीघा 19 बिस्वा (10.39 हे0) आबादी दर्ज रिकार्ड थी। जो हाल सेटलमेंट सवंत 2048 में सर्वे नम्बर 863 का रकबा 11.10 हे0 किस्म-वर्गीकरण में किस्म-रास्ता दर्ज हो गया हैं। तहसीलदार (भूमिधारी) की रिपोर्ट एवं पूर्व भू-प्रबन्ध तथा तुलनात्मक विवरण अनुसार रकबा 10.39 हे0 किस्म-आबादी व रकबा 0.71 हे0 किस्म-रास्ता दर्ज करने का आदेश दिया जाकर निर्णय की प्रति वास्ते पालनार्थ तहसीलदार गढी को भिजवाई जाती है।

निर्णय आज दिनांक 04.01.2023 को सुनाया गया।

  
(अन्जु शर्मा)  
सुपखण्ड अधिकारी  
गढी